


तारीख  
हुकम

9.4.24

पत्रावली बेग हुई, अभिभाषकगण द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थगन/वहिले तर रखने  
से पत्रावली दिनांक 15 को पेश हो।

21.5.24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथीगण अनुपाब्धित  
प्राथीगण से व जर्जीगण के अधिकार को कितनी बार  
कक-कक कर आवाणे डिलायी जाने के बाद उपब्धित  
नहीं। वकील प्राथीगण के अनुपाब्धित होने से प्राथीगण  
का ज.पत्र डाफमहाजरी/अदम पैरवी में खारीज किया  
जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नभर से  
कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

